C-2 U-IC Contemporary India and Education

Q. Discuss the role of SSA in universalization of Elementary Education.
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सर्वशिक्षा अभियान की भूमिका का वर्णन करें।

Ans

भारत के शैक्षणिक इतिहास बहुत गौरवशाली रहे हैं। फिर भी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई और शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया जाय, इसका संकल्प लिया गया। इसी के अंतर्गत भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पंजीयन, अवधारणा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि बच्चे श्रेणी अनुकूल अधिगम के स्तर को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य लिंग संबंधी अंतरों को तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच के उन्तराल को कम करना है। 1998 में हुई राज्यों के शिक्षामंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ। यद्यपि संविधान के 86 वें संशोधन के अनुसार जिसका अधिनियम 2002 में हुआ. प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की बात कही गयी लेकिन एक अधिनियम में रूप में यह अगस्त 2009 में पारित हुआ।

• सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएँ :-

सर्व शिक्षा अभियान की निम्नलिखित अनिवार्य विशेषताएँ है जो इस कार्यक्रम को प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के उद्देश्यों के रूप में परिणत करती है:-

(i) इस कार्यक्रम की एक निश्चित समयावधि है जिसके भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है।

(ii) यह कार्यक्रम देश भर में गुणवत्तायुक्त बेसिक शिक्षा की अपेक्षाओं का प्रति उत्तर है।

(iii) बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करने का अवसर है।

(iv) बच्चों की शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक-अध्यापक संघों तथा स्थानीय जनता को सम्मिलित करने का एक प्रयास है।

(v) देश भर में सार्विक प्रारंभिक शिक्षा के प्रति यह एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है।

(vi) यह प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्वायत्त समितियों तथा अन्य तृणमूल या आधारिक संरचनाओं (व्यवस्थाओं) को सम्मिलित करता है।

(vii) इसके अंतर्गत केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय शासन की भागीदारी का स्वागत है।

(viii) राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना स्वयं का दर्शन विकसित करने का यह कार्यक्रम एक अवसर है।

(ix) व्यूह रचनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी व निजी भागीदारी करने का अवसर भी है।

(x) इन सबके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बच्चों में मानव योग्यताओं में सुधार लाने का अवसर प्रदान करता है जो एक मिशन के रूप में समुदाय द्वारा स्वीकृत गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रावधान के द्वारा होता है।

सर्वशिक्षा अभियान की भूमिका:-

- **संस्थागत सुधार:-** सर्व शिक्षा अभियान के एक अंश के रूप में वितरण (संचालन) प्रणाली की कार्यकुशलता उन्नत लाने की दृष्टि से केंद्र तथा राज्य सरकारें आवश्यक सुधार लाएँगी। राज्यों को शैक्षिक प्रबंधन, विद्यालयों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामलों, विकेन्द्रीकरण, अध्यापकों की भरती, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, समुदाय स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम, लड़कियों की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा वंचित समूहों की शिक्षा तथा पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा सहित अपनी शिक्षा प्रणाली का एक वस्तुगत मूल्यांकन करना होगा।
- **समुदाय स्वामित्व:-** सर्व शिक्षा अभियान के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावी विकेन्द्रीकरण के द्वारा विद्यालय आधारित कार्यक्रमों का स्वामित्व समुदाय के हाथ में हो। इसमें तेजी लाने के लिए महिलाओं, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए।
- **विशेष समूहों पर बल:-** शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक समूहों, शहरी वंचित बच्चों,

अन्य वंचित समूहों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सम्मिलित करने तथा भागीदार बनाने पर बल दिया जाएगा।

- गुणवत्ता पर दबाव:- सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक स्तर के बच्चों की शिक्षा को लाभकारी तथा संगत बनाने के लिए विशेष बल दिया है। इसके लिए पाठ्यचर्या में सुधार ला कर, बाल केंद्रित क्रियाओं द्वारा तथा प्रभावी अध्यापन-अधिगम व्यूहरचनाएँ अपनाई जाती है।
- अध्यापकों की भूमिका:- सर्व शिक्षा अभियान का यह विश्वास है कि अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है केन्द्रीय होती है। अतः उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। इसके लिए खंड संसाधन केन्द्र, संकुल (कलस्टर) संसाधन केन्द्र, योग्य अध्यापकों की भरती, पाठ्यचर्या संबंधित पदार्थ सामग्री के विकास में सम्मिलित करके और अध्यापकों के लिए अभिदर्शन (exposure) भ्रमणों का प्रबंध किया जाता है ताकि अध्यापकों का मानव संसाधन के रूप में विकास हो सके।

उपर्युक्त भूमिका सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में जो वर्णित की गई है उसमें अनेक तरह की कार्य-योजना भी है जिनमें मिड-डे-मील, कस्तूरबा विद्यालय इत्यादि। प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षा अधिकार अधिनियम निर्मित की गई उसमें सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शकों को भी सम्मिलित किया गया और उसके अनुरूप अनुवर्ती कारवाई के लिए सुझाव देने का कार्य किया जाएगा।